

प्रेस नोट

दिनांक- 03.10.2026

डायल-112 पर चोरी किए जाने की सूचना निकली असत्य, करनैलगंज पुलिस ने घटना का किया सफल अनावरण-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.10.2026 को समय करीब प्रातः 05:13 बजे रोशनी पत्नी सोनू यादव, निवासी ग्राम अहिरन पुरवा, बालपुर हजारी, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा डायल-112 के माध्यम से सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके हाथ-पैर बांधकर घर में चोरी की घटना कारित की गई है। सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण को तत्काल अवगत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्राधिकारी करनैलगंज के नेतृत्व में थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में गहन जांच-पड़ताल एवं पूछताछ प्रारम्भ की गई।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए शिकायतकर्ता एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण किया गया। जांच के दौरान कथित चोरी की घटना के संबंध में बताए गए तथ्यों में विरोधाभास पाए जाने पर पुलिस द्वारा विभिन्न पहलुओं पर सघनता से छानबीन की गई। लगातार की गई जांच एवं पूछताछ के परिणामस्वरूप कथित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी में गए बताए जा रहे समस्त जेवरात घर के अंदर ही उपले के ढेर से बरामद कर लिए गए। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चोरी एवं हाथ-पैर बांधने के संबंध में दी गई सूचना असत्य एवं मनगढ़ंत थी तथा वास्तविक रूप से उक्त प्रकार की कोई चोरी की घटना घटित नहीं हुई थी। कथित चोरी में गए बताए जा रहे समस्त जेवरात को नियमानुसार काली प्रसाद यादव पुत्र शीतला प्रसाद यादव एवं सोनू यादव पुत्र शीतला प्रसाद यादव, निवासीगण ग्राम अहिरन पुरवा, बालपुर हजारी, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा, जो आपस में सगे भाई हैं, के सुपुर्द किया गया।

अपील-

गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी आपातकालीन अथवा आपराधिक घटना की सूचना डायल-112/पुलिस को देते समय तथ्यों को सही एवं सत्य रूप में प्रस्तुत करें। असत्य, भ्रामक अथवा मनगढ़ंत सूचना देने वाले के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.10.2026

थाना खरगपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2026 को समय करीब 19:30 बजे वादी जयसिंह पुत्र मंगरे निवासी भगहा, थाना खरगपुर, जनपद गोण्डा धान की मढ़ाई कराकर अपने खेत से निकलकर धुरहिया पुल, ककरा-बलुवा, इकौना रोड पर बैठा था। इसी दौरान 03 व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से वहां आए तथा वादी के पास बैठकर इटियाथोक जाने का रास्ता पूछने लगे। बातचीत के दौरान आरोपियों द्वारा वादी के पास रखा सैमसंग मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। मोबाइल चोरी होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा शोर मचाया गया, जिस पर आसपास के ग्रामीण मौके पर आ गए। ग्रामीणों की सहायता से 02 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम व पता बताया तथा फरार व्यक्ति का नाम भी बताया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना खरगपुर पर मु0अ0सं0 257/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अंशू पाण्डेय पुत्र साहब शरण पाण्डेय, निवासी मोहम्मदपुर, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।
2. हर्षित त्रिपाठी उर्फ सत्यम त्रिपाठी पुत्र चन्द्रभूषण त्रिपाठी, निवासी मझवा सोनाल फतेहड़ा, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी-

- 01 अदद चोरी का सैमसंग मोबाइल फोन।
- 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 257/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खरगपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01- उ0नि0 श्री गोपाल तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 03.10.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रियाज अहमद सिद्दीकी निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली नगर द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त करण वर्मा एवं अनूप कुमार पाण्डेय द्वारा सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर कुल ₹10,25,000/- लिया गया तथा फर्जी/कूटरचित नियुक्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। धनराशि वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सर्कुलर रोड स्थित किराये के मकान पर दबिश देकर अभियुक्त **करण वर्मा** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त करण वर्मा की निशानदेही पर इमरती विसेन स्थित रामप्यारे फिलिंग सेन्टर के सामने अभियुक्त **अनूप कुमार पाण्डेय** के मकान पर पहुंचकर दबिश दी गई, जहां से पुलिस टीम को देखकर पीछे के रास्ते से भाग रहे अभियुक्त अनूप कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **करण वर्मा** पुत्र परशुराम वर्मा, निवासी मतवरिया रूगढ़ नौसी, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
2. **अनूप कुमार पाण्डेय** पुत्र चन्द्रवंश मणि पाण्डेय, निवासी विम्हौर पोस्ट इमलिया गुरदयाल, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 776/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशान्त कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. का0 रामनाथ सिंह
3. का0 रायल राजवंशी
4. म0का0 शालिनी पाण्डेय
5. का0 अमित यादव
6. रि0का0 शशिकान्त

मीडिया सेल, गोण्डा